

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 173/2018/225 आरटीए

1. महेन्द्रसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. जोगेन्द्रसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्ट

—: बनाम :-

1. मेजरसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. चानण सिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. सुखदेवसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. गुरतेजसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—असल रेस्पो0

—तरतीबी रेस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.05.2018 न्यायालय उपखण्डाधिकारी संगरिया प्रकरण संख्या 210/2017 अनवानी मेजरसिंह आदि बनाम महेन्द्रसिंह आदि

श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5

निर्णय

दिनांक —13.09.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए प्रस्तुत कर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अपीलान्ट का जवाब आने के उपरांत व तहसीलदार संगरिया की रिपोर्ट लेने के उपरांत पत्रावली कैम्प

लीलावाली मे ले जाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश मे रास्ता स्वीकृत किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया अपीलांट व रेस्पों सं. 3 व 4 लघु काश्तकार है। प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत होने के कारण अपीलांट की भूमि के दो टुकड़े हो जायेंगे। वर्तमान मे दिनांक 01.05.2018 से 30.06.2018 न्याय आपके द्वार राजस्व अभियान चल रहे थे जिससे प्रकरण मे कोई भी आगामी पेशी नही दी गई थी तथा न ही अपीलांट के अधिवक्ता या अपीलांट को पत्रावली अभियान मे लेकर जाने की किसी प्रकार की सूचना दी गई थी। अपीलांट या अपीलांट के अधिवक्ता को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो प्रकृति के न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत है, जैसा कि अपीलाधीन आदेश से स्पष्ट है कि अपीलांट के अधिवक्ता या अपीलांट की उपस्थिति नही लगाई गई। राजस्व अभियान मे मात्र जिन प्रकरणों मे पक्षकारान की सहमति व राजीनामा के प्रकरण का ही निस्तारण किया जाता है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को अनदेखा कर अपीलांट की सहमति के बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत होकर एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो काबिले खारिज है। रेस्पों सं. 1 व 2 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे रास्ते मे आई भूमि के ऐवज मे उतनी ही भूमि या उक्त आराजी का बाजार भाव जो अपीलांट व रेस्पों सं. 3 व 4 उचित समझे देने के तथ्य अंकित किये लेकिन विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों की ओर ध्यान ना देकर रास्ता स्वीकृत कर दिया व रास्ते के ऐवज मे डीएलसी दर के अनुसार पैसे जमा करवाने के आदेश जारी कर दिये जबकि रेस्पों सं. 1 व 2 रास्ते मे आई भूमि के ऐवज मे कृषि भूमि देने के लिए तैयार थे तो कृषि भूमि के आदेश दिये जाने चाहिए थे। अपीलांट की कृषि भूमि के दो टुकड़े करने की नियत से विचारण न्यायालय के समक्ष कि.न. 21 मे रास्ते की मांग की जिस बाबत

अपीलांट व रेस्पो० सं. 3 व 4 द्वारा असहमति दी गई, अगर रेस्पो० सं. 1 व 2 प.न. 156/198 मु.न. 19 के कि.न. 23 में अपीलांट की भूमि के एक सिरे से रास्ते की मांग करते व रास्ते में आई भूमि के ऐवज में अपीलांट की भूमि के साथ चिपती हुई उतनी ही भूमि या बाजार भाव जो 15,00,000/- ₹० प्रतिबीघा के हिसाब से पैसे अदा करते तो इस बाबत अपीलांट व रेस्पो० सं. 3 व 4 सहमत थे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2016-17 पेज 568, डीएनजे 2018 पेज 36 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं० 1 व 2 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो. सं. 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए चक 3 एमएमके के प.न. 156/198 मु.न. 19 के कि.न. 21/0.013 है० पत्थर लाईन के साथ साथ उत्तर से दक्षिण यानि 165 गुणा 8.25 फीट रास्ता स्वीकृत किया गया है। रेस्पो० सं. 1 व 2 को अपने खेत में जाने के लिए मौका पर कोई स्थाई रास्ता नहीं है और ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अपीलांट का यह कथन कतई मिथ्या है कि रेस्पो० सं. 1 व 2 अपीलांट की भूमि के दो टुकड़े करने पर आमादा हो। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.18 की क्रियान्विती हो चुकी है तथा राजस्व रिकार्ड में भी आदेश की पालना में प्रश्नगत रास्त का अंकन हो चुका है तथा दिनांक 29.05.18 को मौका पर रास्ता खुलवाया जाकर चालू है जिससे रेस्पो० आवागमन कर रहे हैं। रेस्पो० सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें यह अंकित किया गया कि रेस्पो० सं. 1 व 2 को रास्ता की आवश्यकता है तथा प्रश्नगत रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। पक्षकारान/अप्रार्थी रास्ते देने हेतु सहमत नहीं है। इस प्रकार यह साबित होता है कि रेस्पो० सं. 1 व 2 को अपनी

खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता की परम आवश्यकता है तथा प्रश्नगत रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया गया है जो सही एवं विधि सम्मत है। अपीलांत द्वारा बिना किसी आधार के अपील प्रस्तुत की गई जो प्रारम्भतः खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेस्पोंड सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर अपीलांत/अप्रार्थी की भूमि चक 3 एमएमके के प.न. 156/198 मु.न. 19 के कि.न. 21/0.013 हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा गया। अपीलांत/अप्रार्थी हाजिर आकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए जवाब प्रस्तुत किया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में रखी जाकर एकपक्षीय तौर पर अपीलांत को बिना सुने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। जबकि आरआरटी 2016-17 पेज 566 न्यायिक दृष्टांत के अनुसार किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर में ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प में विधि अनुसार किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में एकपक्षीय रूप से बिना सहमति होते हुए पत्रावली का निस्तारण करते हुए प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलांत के कथनानुसार प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था जो अपीलांत की भूमि के कि.न. 23 में से स्वीकृत किया जा सकता था तथा उक्त कि.न. 23 में रास्ता स्वीकृत करने हेतु एवं रास्ता भूमि ऐवज में चिपती हुई उतनी ही भूमि दिये जाने पर अपीलांत व रेस्पोंड सं. 3 व 4 सहमत थे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय इन तथ्यों को नजरअंदाज

करते हुए अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये कैम्प कोर्ट में प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रभावित पक्षकार को सुने पारित अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायसंगत नहीं होने के कारण अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू-अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण करवाया जाकर वैकल्पिक रास्ता के संबंध में भी मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। अपील प्रस्तुत होने की दिनांक से पूर्व प्रश्नगत रास्ता चालू है तो प्रकरण का निस्तारण होने तक रास्ता चालू रहेगा। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.10.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.  
राजस्व अपील अधिकारी  
हनुमानगढ़

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण यथासम्भव दो माह में किया जाना सुनिश्चित करें। अपील की दिनांक से रास्ता पूर्व चालू है तो प्रकरण का निस्तारण होने तक रास्ता चालू रहेगा।

